

3. विश्वविद्यालय

3.1 प्रस्तावना

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गई कि समग्र ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वार खुल सकें।

विश्वविद्यालय मुख्य रूप से महिलाओं, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक हो गई है।

3.2 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह-

- क) नियोजन की आवश्यकताओं से संबंधित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा, और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनाएगा;
- ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलाएं और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिए उपबंध करेगा;
- ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;
- घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में सुनिश्चय और निर्बाध विश्वविद्यालय स्तर की नई प्रणाली के लिए उपबंध करेगा;
- ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबंध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य साफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारियों के

3. The University

3.1 Introduction

Following the philosophy of Open and Distance Learning (ODL), Uttarakhand Open University (UOU) was established in the year 2005 (vide Act No. 23 of the Uttarakhand Government) with an objective to take education to the doorsteps of various sections of society. UOU is progressing leaps and bounds due to its new, innovative and useful educational programmes. All this has been made possible through the use of latest information and communication technology and contact sessions with our learners. The main objective of the University is to develop trained and skilled human resource for sustainable development and progress. However, to meet this goal the University has never compromised with the quality of education it imparts. Keeping in mind the fast changing trends in vocational and technical education, the University has developed its programmes in such a manner that they open doors of employment and self-employment to its learners.

The University mainly caters to the development of women, tribals and those sections of society which have been left out of main stream education. In a short time span of eleven years, the University has evolved considerably and has been successful in reaching out to the unreached.

3.2 Objectives of the University

The University shall endeavour through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the State, and based on the rich heritage of the State to promote and advance the culture of the people of Uttarakhand and its human resources and towards this end, it shall :

- a) strengthen and diversify the degree, diploma and certificate courses related to the needs of employment and necessary for building the economy of the country on the basis of its natural human resources;
- b) provide access to higher education for large segments of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;
- c) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fields of human endeavours;
- d) provide an innovative system of University level of education, flexible and open, in regard to method and pace of learning combination of courses, eligibility for enrolment, age of entry, conduct of examination and operation of programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;
- e) contribute to the improvement of the educational system by providing a non-formal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and excellence of

विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा;
 च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबंध करेगा;
 छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपबंध या प्रबंध करेगा;
 ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबंध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;
 झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबंध करेगा; और
 ञ) अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

3.3 विद्याशाखाएं

वर्तमान में, विश्वविद्यालय 14 विद्याशाखाओं एवं 48 विभागों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। ये विद्याशाखाएं निम्नलिखित हैं:

- 1) कृषि एवं विकास अध्ययन
- 2) कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- 3) स्वास्थ्य विज्ञान
- 4) विज्ञान
- 5) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
- 6) प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य
- 7) शिक्षाशास्त्र
- 8) मानविकी
- 9) समाज विज्ञान
- 10) विधि
- 11) पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
- 12) पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन
- 13) व्यावसायिक अध्ययन
- 14) भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान

इसके अतिरिक्त हिमालयी अध्ययन केंद्र, गांधी अध्ययन एवं शांति केंद्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र तथा मानवीय तथा नैतिक मूल्य केंद्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि शोधपरक एवं विशिष्ट अध्ययन किया जा सके।

3.4 पाठ्यक्रमों की क्रेडिट प्रणाली

इस व्यवस्था में एक (01) क्रेडिट का अभिप्राय 30 घण्टे के छात्र-अध्ययन के बराबर माना जाता है, जिसमें समस्त अध्ययन गतिविधियां शामिल हैं, जैसे: पढ़ने और स्वअध्ययन सामाग्री (SLM) को समझने, ऑडियो को सुनने, वीडियो देखने, परामर्श सत्र में भाग लेने, दूरसंवाद और सत्रीय कार्य लेखन इत्यादि। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित क्रेडिट एवं सामान्य अवधि का विवरण निम्नवत हैं-

पाठ्यक्रम	क्रेडिट	पाठ्यक्रम की अवधि
प्रमाण-पत्र	12-18	6 माह
डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा	28-36	1 वर्ष
स्नातक उपाधि	96-100	3 वर्ष
स्नातकोत्तर उपाधि	60-66	2 वर्ष

teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;
 f) provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availability to the people;
 g) provide or arrange training of teachers required for such activities or institutions;
 h) provide suitable Post-graduate courses of study and promote research;
 i) promote the counseling and guidance to its students; and
 j) promote national integration and the integral development of the human personality through its policies and programmes.

3.3 The Schools of Studies

At present, the University is running various programmes through 14 Schools of Studies and 48 Departments. These Schools are as follows:

- 1) Agriculture and Development Studies
- 2) Computer Science and IT
- 3) Health Science
- 4) Science
- 5) Library and Information Science
- 6) Management Studies and Commerce
- 7) Education
- 8) Humanities
- 9) Social Science
- 10) Law
- 11) Journalism and Media Studies
- 12) Tourism, Hospitality and Hotel Management
- 13) Vocational Studies
- 14) Earth and Environment Science

Besides the above mentioned Schools of Studies, various research Centres like Centre for Himalayan Studies, Centre for Gandhian Studies & Peace, Centre for Remote Sensing and GIS Application and Centre for Human Values and Ethics have been established under different Schools in order to augment research and focused studies.

3.4 Credit System of Programmes

In this system, 01 credit is equivalent to 30 hours of self-study. This comprises all learning activities i.e., reading and comprehending the SLM, listening to audio, watching video, attending counselling sessions, teleconference and preparing assignments. The details of the credits and the general terms for various courses are as follows:

Programme	Credits	Duration
Certificate	12-18	6 Months
Diploma/ PG Diploma	28-36	1 Year
Graduation	96-100	3 Years
PG Degree	60-66	2 Years

3.5 पाठ्यक्रमों का संचालन

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षण पाठ्यक्रम मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र तथा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की त्रिस्तरीय व्यवस्था द्वारा संचालित होते हैं। राज्य के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय के मुख्यालय द्वारा नियन्त्रित तथा निर्देशित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र अपने क्षेत्र में स्थित शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय तथा सक्रिय सहयोग की भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थी सहायता केन्द्र विश्वविद्यालय के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय सहयोग करते हैं। समस्त शिक्षण कार्यों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों से ही होता है।

3.5.1 स्व-अध्ययन सामग्री (एस.एल.एम.)

विश्वविद्यालय में हिन्दी या अंग्रेजी, जिस माध्यम में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी, उसी माध्यम में छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी, हालांकि छात्र अंग्रेजी या हिन्दी किसी भी माध्यम में परीक्षा दे सकेगा।

3.5.2 ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (ओईआर)

ओईआर बौद्धिक सम्पदा लाइसेंस के तहत पब्लिक डोमेन में जारी की गई वह शिक्षण, अध्ययन एवं शोध से संबंधित सामग्री है जो उसके अन्य द्वारा प्रयोग, पुनः प्रयोग की निःशुल्क अनुमति देती है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अन्तर्गत ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल्स, पाठ्य पुस्तक, वीडियो तथा अन्य साधन, सामग्री, या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की भी अपनी ओईआर पॉलिसी है, जिसके तहत <http://elearning.uou.ac.in/> नाम का ओईआर पोर्टल विकसित किया गया है, यहां से छात्र अपनी शिक्षण सामग्री में पहुंच बना सकता है और अपने स्मार्ट फोन, लैपटॉप अथवा डेस्क टॉप कम्प्यूटर में सामग्री को डाउनलोड कर सकता है। इस ओईआर पोर्टल में दो खण्ड हैं; प्रथम खण्ड (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=20>)

स्व-अध्ययन सामग्री खण्ड है, और दूसरा खण्ड ओईआर खण्ड है

(<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=6>)। विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विकसित अध्ययन सामग्री, स्व-अध्ययन सामग्री खण्ड में है। छात्र इस सामग्री तक विश्वविद्यालय के आइसीटी विभाग द्वारा दिये जाने वाले पासवर्ड द्वारा पहुंच बना सकता है। ओईआर खण्ड में कोई भी, बिना किसी पासवर्ड के अध्ययन सामग्री तक पहुंच बना सकता है।

3.5.2.1 मूक

विश्वविद्यालय द्वारा बीसीए कार्यक्रम में मूक का विकल्प भी प्रारंभ किया जा रहा है, इच्छित छात्र यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध मूक कार्यक्रम (MOOC) की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.uou.ac.in) पर देख सकते हैं। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित क्रेडिट ट्रांसफर की नीति का पालन किया जायेगा।

3.5.3 परामर्श सत्र एवं सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रमों की निर्धारित क्रेडिट्स के अनुरूप आवश्यक परामर्श सत्रों तथा सत्रीय कार्यों (असाइनमेन्ट्स) का विवरण निम्नवत हैं-

3.5 Programme Delivery

The educational programmes of the University operate on a three tier arrangement, i.e., University Headquarter, Regional Centres and Learner Support Centres. The Regional Centres located in different parts of the state are administered by the University Headquarters. Every Regional Centre acts as a coordinating agency between the University and the various Learner Support Centres. The Learner Support Centres, in turn, discharge both academic and administrative duties. All the counselling related activities are carried out by the various Learner Support Centres.

3.5.1 Self Learning Materials (SLM)

The study material available in Hindi or English medium, what so ever shall be distributed to the student, however Student may opt Hindi or English as medium of examination.

3.5.2 Open Educational Resources (OER)

OERs are teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or have been released under an intellectual property license that permits their free use and re-purposing by others. Open educational resources include full courses, course materials, modules, textbooks, streaming videos and any other tools, materials, or techniques used to support access to knowledge."

Uttarakhand Open University has own OER policy and developed OER portal named <http://elearning.uou.ac.in/> where the learners can access course materials and download the course materials in his own devices such as smart phone, laptop and desktop computer.

In this OER portal there are two sections one is SLM (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=20>) section and another is OER section (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=6>). The SLM developed by faculty members reside in the SLM section. The learner can access the SLM through user id and password which is provided by the ICT department. In OER section anyone can direct access the course materials without any user id and password.

3.5.2.1 MOOC

The University is offering an option of MOOC in the **BCA programme**, Interested learners may visit the University Website (www.uou.ac.in) for UGC approved SWAYAM portal containing MOOC list. In this regard University shall abide by the UGC approved Credit transfer Policy.

3.5.3 Counselling Sessions and Assignments

Counselling sessions and assignments as per the number of credits of the respective programmes are provided as under:

Credits Defined for the Subject (विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट)	Total study hours duration based on credit (hrs.) (क्रेडिट के आधार पर कुल अध्ययन अवधि) (घंटों में)	Counselling Sessions- 10% of total study hours (परामर्श सत्र-कुल अध्ययन के लिए निर्धारित घंटों का 10 %)	Minimum number of Assignment (न्यूनतम सत्रीय कार्यों की संख्या)
02	60	06	01
04	120	12	01
06	180	18	01
08	240	24	01

3.5.4 ऑडियो – विजुअल सामग्री

दूरस्थ शिक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाए जाने हेतु ऑडियो-विजुअल व्याख्यानों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है (इकाई एवं ब्लाक के अनुसार)। इसमें से कुछ सामग्री ऑनलाइन भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय की योजना है कि 'एडूसेट' तथा अन्य माध्यमों से माध्यम से ऑडियो-विजुअल व्याख्यानों को प्रसारित करें ताकि विद्यार्थी इन्हें कहीं भी देख सकें।

3.5.5 कार्यशाला / प्रयोगात्मक कार्यशाला / परियोजना कार्य

विज्ञान, शिक्षा, समाज कार्य, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कार्यशाला / प्रयोगात्मक कार्यशालाओं का प्रावधान किया गया है ताकि विद्यार्थियों की प्रायोगिक समझ विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ पाठ्यक्रमों में परियोजना कार्य पाठ्यक्रम के अनिवार्य भाग के रूप में शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी के प्रायोगिक / व्यावहारिक / शोधपरक ज्ञान में वृद्धि हो सके।

3.6 सहायक सेवाएं

3.6.1 निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएं (आर0एस0डी0)

निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएं मुख्यालय में अवस्थित है। यह निदेशालय क्षेत्रीय केंद्रों और शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के संचालन हेतु नीति निर्धारण और नियमन करता है।

3.6.2. क्षेत्रीय केंद्र

क्षेत्रीय केंद्रों का कार्य शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय के बीच शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु समन्वय स्थापित कर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को उत्तराखण्ड के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। ये केंद्र सामान्यतः भौगोलिक पहुँच एवं शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की स्थिति की दृष्टि से बीच की जगह में स्थापित किए गए हैं। ऐसे आठ क्षेत्रीय केंद्र, जिसमें से चार गढ़वाल मंडल में (देहरादून, रूड़की, पौड़ी एवं उत्तरकाशी) तथा चार कुमाऊं मंडल (रानीखेत, हल्द्वानी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) में स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय केंद्रों के अन्तर्गत शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

3.6.3 शिक्षार्थी सहायता केंद्र

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षण पद्धति की प्राथमिक इकाई हैं। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के द्वारा समुचित कार्यवाही के उपरांत शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी सुविधानुसार शिक्षार्थी सहायता केन्द्र चुनने की स्वतन्त्रता होती है। छात्रों के प्रवेश के साथ-साथ उनके लिए परामर्श सत्रों तथा प्रयोगात्मक कार्यों की व्यवस्था भी शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों द्वारा ही की जाती है। इन केंद्रों के

3.5.4 Audio – Visual Aids

In order to make ODL interesting and effective, efforts are being made to develop audio/ video materials and some of the lectures are also available online. Now that the University has access to the educational satellite EDUSAT, it will start broadcasting lectures to our learners and the learners will be able to view them irrespective of their geographical location.

3.5.5 Workshops/Laboratory Workshops/Project Activity

In order to provide hands on / practical understanding of the subject, workshops/ laboratory workshops are organized in Science, Education, Social Work, Management, Yoga and Naturopathy Programmes. Furthermore, in some programmes, project activity is a compulsory part of the programme as it not only provides field exposure but also enhances the practical/field/research understanding of the learners.

3.6 Support Services

3.6.1 Directorate of Regional Services (RSD)

Directorate, Regional Services is located in University Headquarters in Haldwani. Directorate regulates and frames policies for Regional Centre and Learner Support Centres.

3.6.2. Regional Centres

Coordination between the different Learner Support Centres and the University is ensured by Regional Centres. These centres also help in disseminating information about the programmes offered by the University to the learners residing in far-flung areas of Uttarakhand. At present, the University has eight (08) Regional Centres, of which four (04) are located in the Garhwal region, viz., Dehradun, Roorkee, Pauri, Uttarakashi and four (04) in the Kumaun region, viz., Ranikhet, Haldwani, Bageshwar, Pithoragarh. The educational programmes of the University are offered through Learner Support centres under these eight regional centres.

3.6.3 Learner Support Centre

The primary unit of the Open University Education System is the Learner Support Centre. Each learner has the freedom to opt for the Learner Support Centre of his/ her choice. In addition to dealing with the admission related matters of the University, the Learner Support Centres also arrange counselling and laboratory sessions for its learners. In this manner, each learner remains connected with the University.

माध्यम से प्रत्येक छात्र अपने विश्वविद्यालय से निरन्तर सम्बद्ध रहता है।

3.6.4 आदर्श शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (कोड 16000, 11000)

विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी तथा देहरादून परिसर में दो आदर्श शिक्षार्थी सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

3.6.5 सरकारी महाविद्यालयों में यू.ओ.यू. शिक्षार्थी सहायता केंद्र

यू.जी.सी. निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित कर रहा है।

3.7 मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली

परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक पंजीकृत शिक्षार्थी का मूल्यांकन निम्नवत होगा:

आधार पाठ्यक्रमों, सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में सत्रीय कार्य नहीं होगा, अन्य कार्यक्रमों के परीक्षार्थी के सत्रीय कार्य तथा लिखित परीक्षा का पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाएगा जिसके लिए क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत अंक होंगे जिन विषयों में मात्र प्रयोगात्मक कार्य, प्रक्षेत्र कार्य, गोष्ठियाँ अथवा प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित है उनमें मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सत्रीय कार्य एवं लिखित परीक्षा में अलग-अलग कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सत्रीय कार्य शिक्षार्थी सहायता केन्द्र पर जमा किए जाएंगे तथा वहीं पर परामर्शदाताओं द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यह कार्य क्षेत्रीय निदेशकों की सतत निगरानी में होगा।

4. प्रवेश एवं परीक्षा

कृपया प्रवेश से पूर्व यह जांचें कि आपके प्रमाण पत्र वैध हैं और आप प्रवेश की निर्धारित अर्हता रखते हैं।

4.1 प्रवेश नियम

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अधिकृत शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में लिया गया प्रवेश ही मान्य होगा।

किसी भी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपने अगले सेमेस्टर या कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम / अंकतालिका के प्रवेश ले सकते हैं।

4.1.1 अकादमिक सत्र

विश्वविद्यालय में वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली या सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पर आधारित होंगे। सेमेस्टर प्रणाली में सेमेस्टर की अवधि छः माह होगी। -

1. शीतकालीन सत्र - (प्रवेश जनवरी से प्रारम्भ)

3.6.4 Model Learner Support Centres (Code Nos. 16000, 11000)

Two Model Learner Support Centres, one at the University Headquarters and another at the Dehradun Campus, have been established for the benefit of the learners.

3.6.5 UOU Learner Support Centres at Govt. PG Colleges

The University is establishing Learner Support centres in Government PG Colleges as per UGC regulations.

3.7 Grading System of Evaluation

Every enrolled learner who has appeared in examination will be evaluated as under:

There shall be no Assignment work in the foundation courses, Certificate Programmes and Diploma Programmes except few. Other than these the performance of every learner will be evaluated on the basis of marks scored separately in assignments and the term-end papers. Assignment work will carry 20 marks and the term end paper 80 marks. In those subjects, where laboratory, field or project work is carried out, the students will be evaluated out of 100 marks. It is compulsory to attain at least 35% marks separately, both in the assignments as well as in the term-end papers. Assignments are submitted to the concerned Learner Support centres and these will be evaluated by the concerned counsellors. This activity will be strictly monitored by the Regional Directors.

4. Admission and Examination

Please check before admission that your certificates are valid and you carry the prescribed eligibility.

4.1 Admission Rules

Admission only at authorised Learner Support within the Uttarakhand State will be accepted

A learner enrolled in any Programme of the University may seek admission in next semester or class even before declaration of result or issue of marksheet.

4.1.1 Academic Session

There shall be one admission cycle of examination. The programmes are offered either in semester or annual examination mode. In semester mode, one semester lasts for six months.

- Winter Session (Admissions commencing from January)

प्रवेश तिथि

प्रवेश	सत्र
	शीतकालीन
आरम्भ की तिथि	01 जनवरी
अंतिम तिथि	15 फरवरी
विलम्ब शुल्क ₹.250/- के साथ	29 फरवरी

4.1.2 ऑनलाइन प्रवेश

सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) के माध्यम से किया जाना होगा।

‘ऑनलाइन’ प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रपत्रों को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एवं दिये गये **प्रारूप में अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।** ‘ऑफलाइन’ प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को

आवेदन पत्र के साथ अपने मूल प्रपत्रों की छाया प्रतियों को स्वप्रमाणित लिख आवेदन पत्र के प्रारूप में स्व-हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

- ऑनलाइन प्रवेश में विद्यार्थी को मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त होगी।

4.1.3 ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहने वाले छात्रों के लिए

यदि कोई छात्र ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहता है (पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पोर्टल elearning.uou.ac.in से डाउनलोड करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी) तो ऐसे छात्र को उसके कार्यक्रम के चुने हुए वर्ष के कार्यक्रम शुल्क में 15% की छूट प्रदान की जायेगी।

4.1.4 नामांकन

विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक का नामांकन स्वतः हो जायेगा और एक नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी जो अभ्यर्थी के लिए परिचायक का काम करेगी। नामांकन संख्या का आवंटन प्रथम प्रवेश परीक्षा में किया जाएगा जिसका उल्लेख अंक तालिका, प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र में किया जाता है। ऑफलाइन आवेदकों की प्रविष्टि शिक्षार्थी सहायता केन्द्र द्वारा की जायेगी।

4.1.5 पुनः प्रवेश

Date of Admission

Admission	Session
	Winter
Opening date	01 January
Last date	15 February
With Late fee of Rs. 250/-	29 February

4.1.2 Online Admission

Online admission is available in all programmes. In this mode the fee can be paid only through the payment gateway (debit/credit card or Net Banking).

The applicants taking admission through Online mode shall attach their scanned original documents with the application form and **submit a signed certificate in the given format.** The applicants taking admission through Offline mode shall enclose the self attested photocopies of their original document and attested photocopies of their original document and a signed certificate in the given form.

- In case of the online admission scanned copies of the original testimonials shall be uploaded by the learners.
- Compulsion of submission of hard copies of online admission form is revoked.

4.1.3 Students opting for online Course material

If the student opting for the online course material(The SLM shall have to be downloaded from the University Website portal elearning.uou.ac.in and hard copy of the course material shall not be provided by the University) shall be given 15% discount on the programme fee for the selected year.

4.1.4 Enrollment

After seeking admission in the University, each online applicant will be issued an enrollment number automatically. The enrollment number acts as a unique identification number. The enrollment number is issued only once and is mentioned on the marksheets, certificates and degrees of the learners. Offline applicants shall be given enrollment through their Learner Support centers.

4.1.5 Re-admission

4.1.6 पार्श्व प्रविष्टि

विस्तृत जानकारी के लिए देखें www.uou.ac.in

4.1.6 Lateral Entry

For details see the website www.uou.ac.in

4.1.7 शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन संबंधी नियम

- दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन निःशुल्क किया जाये।
- शिक्षार्थियों के शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात 30 दिनों के भीतर निःशुल्क किया जायेगा।
- निःशुल्क परिवर्तन की 30 दिनों की अवधि के पश्चात अगले 30 दिनों तक शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन करने पर विद्यार्थी अध्ययन केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करेगा तथा अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन किया जा सकेगा। यद्यपि ऐसे प्रकरणों पर विश्वविद्यालय विचार करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- तत्पश्चात सत्र पूरा होने तक शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- असाधारण परिस्थिति में किसी शिक्षार्थी सहायता केंद्र के स्वतः बन्द होने या विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी सहायता केंद्र बन्द किए जाने की स्थिति में शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन निःशुल्क किया जाये।
- विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी के अभिभावक या स्वयं विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन होने पर, किसी छात्रा के विवाह हो जाने की स्थिति में कुलपति जी की विशेष अनुमति पर रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन किया जा सकेगा।
- विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ अन्य सवैधानिक पहचान पत्र आवश्यक होगा।

4.1.8 पहचान पत्र

विद्यार्थी प्रवेश के उपरांत विश्वविद्यालय की वैबसाइट से अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

4.1.9 प्रवेश में आरक्षण की नीति

विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।

4.1.10 शुल्क वापसी

- आरक्षित श्रेणी के छात्रों की शुल्क वापसी के आवेदन पत्रों, जो निर्धारित तिथि तक प्राप्त होंगे, को विश्वविद्यालय द्वारा शासन के संबंधित विभाग की शुल्क वापसी योजना के अनुरूप शासन के संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जाता है।
- विद्यार्थी द्वारा यदि वैबसाइट/विवरणिका में दिये गये शुल्क वापसी प्रपत्र के अतिरिक्त साधारण प्रपत्र पर शुल्क वापसी के लिए आवेदन किया गया हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।
- विद्यार्थी की शुल्क वापसी केवल उसी सत्र में मान्य होगी जिस सत्र में उसने प्रवेश लिया है।
- प्रवेश की अन्तिम तिथि के दो माह के भीतर शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।
- किसी कार्यक्रम में प्रवेश में यदि तकनीकी कारणों से भुगतान दो बार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक भुगतान वापस किया जायेगा।

4.1.7 Rules for Change in Learner Support Centre

- Change of study center for physically challenged learner shall be of free of cost.
- Change of learner support center shall be free of cost within 30 days from the last date of admission.
- After the 30 days of free of cost change of learner support center, in the following 30 days change of learner support center shall be allowed if the learner applies through learner support center with no dues certificate of the center and Rs. 1000/- as fee for the change of learner support center. Such application shall be decided upon by the University and its decision shall be final.
- After this period no change of learner support center shall be allowed till the end of the Session.
- In an extra ordinary situation like self closure of the learner support center or Closure of learner support center by the University, the change of learner support center shall be free of cost.
- In the special cases like transfer of guardian or transfer of student itself or marriage of a female student, change of learner support center shall be allowed with due permission of Vice Chancellor and a fee of Rs. 1000/- .
- Aadhar card/ passport/other legal identity card shall be mandatory for the admission.

4.1.8 Identity Card

Student can download Identity card from the website of the University.

4.1.9 Policy of Reservation in Admission

Reservation Policy of the State Government will be applicable in admission.

4.1.10 Fee Reimbursement

- As per the fee refund scheme, the application of the students from reserved category is forwarded to the Concerned Department.
- Application for fee refund shall be accepted in the prescribed *Fee Reimbursement Form* given in the website/prospectus as well as in a plain paper.
- Reimbursement of fee shall be applicable only in that session in which admission is sought.
- Process of reimbursement of fee is to be completed within two month after the last date of admission.
- If due to a technical problem double-payment is made through digital payment, in such a situation one payment shall be refunded.

- शुल्क वापसी के ऐसे आवेदन पत्र जिनका शुल्क भुगतान चालान द्वारा किया गया हो, यदि एस.आई.एस. में प्रविष्टि से पहले प्राप्त हो जाते हैं तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र की प्रविष्टि न होने 100 प्रतिशत शुल्क वापसी
- विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाया जा रहा हो तो का 100 प्रतिशत शुल्क वापस किया जायेगा
- यदि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री दिये जाने के पूर्व प्रवेश निरस्त हेतु अनुरोध किया गया हो तो सम्पूर्ण शुल्क का 90 प्रतिशत वापस किया जायेगा।
- अध्ययन सामग्री दिये जाने के पश्चात यदि विद्यार्थी द्वारा प्रवेश निरस्त एवं शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो तो ऐसे आवेदन पर सम्पूर्ण शुल्क का 50 प्रतिशत वापस किया जायेगा यदि विद्यार्थी द्वारा पुस्तकें वापस कर दी गईं हों।
- अनुचित/असत्य/अयोग्य प्रमाणपत्रों के आधार पर लिए गये प्रवेश को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने पर शुल्क वापसी नहीं होगी।
- कार्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एवं भविष्य में कोई अन्य कार्यक्रम न करने की स्थिति में विद्यार्थी की यदि कोई राशि अवशेष है तो उसे विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वापस किया जायेगा।
- ऐसे विद्यार्थियों को उनकी अवशेष राशि कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात केवल एक वर्ष के भीतर ही दावा करने पर वापस की जा सकेगी।
- If the application of cancellation of those admission forms whose payment is made by challan is received before the application entry in SIS then total fee shall be refunded.
- If the entry of admission form is not done in the University, then 100% fee shall be refunded.
- If the University suspends/closes a Programme then 100% of the **grand total*** of fee shall be refunded.
- If the Student requests for cancellation of admission before the study material have been delivered then 90% of the grand total of fee shall be refunded.
- If the student requests for cancellation after the study material have been delivered then 50% of the grand total of fee shall be refunded if the student returns the books.
- If admission is cancelled by the University on the ground of wrong/fake/ineligible certificates then fee shall not be refunded.
- In a situation like completion of a programme by a learner who is not interested in doing other programme in the future if any extra amount is due on the University, that shall be refunded on the application of such learner.
- Such amount shall be refundable on the application of the learner within an year after the completion of the programme only.

* Grand Total means total fees which include Program fee, project, workshop, examination, Practicle, viva-voce, degree etc.

* सम्पूर्ण शुल्क का तात्पर्य समस्त शुल्क से है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम, प्रोजेक्ट, कार्यशाला, परीक्षा, प्रयोगात्मक, मौखिकी, डिग्री और विविध शुल्क सम्मिलित हैं।

4.1.11 पाठ्यक्रम / विषय / कोर्स में परिवर्तन

- प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात एक माह तक अध्ययन केन्द्र से पाठ्यसामग्री का अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ऐच्छिक विषय/ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- विद्यार्थी को नये कार्यक्रम की अर्हता से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे।
- पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रावधान प्रवेश-परीक्षा के द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा।
- पाठ्यक्रम परिवर्तन की दशा में यदि नए पाठ्यक्रम / विषय का शुल्क कम तो आधिक्य का समायोजन नहीं किया जाएगा तथा चाहे गए पाठ्यक्रम का शुल्क पूर्व के पाठ्यक्रम से अधिक है तो अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाएगा। दोनों ही दशा में पाठ्यक्रम परिवर्तन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

उक्त व्यवस्था हेतु शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:

शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन हेतु: रूपये 1000.00

पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु: रूपये 500.00

विषय परिवर्तन हेतु: रूपये 200.00

4.1.11 Change in Programme/ Subject/ Course

- Subject/Programme change shall be permitted within one month after the last date of admission if no dues certificate from the study center is produced.
- The learner shall have to produce eligibility documents regarding the new programme.
- Programme change shall not be applicable for the learners who have obtained admission through entrance test.
 - In the case of change in programme/ subject, if the new programme or subject has a lower fee than the programme / subject opted earlier, then the remaining amount will not be adjusted and if the desired programme / subject has a higher fee than the previous programme/ subject opted for by the learner, then s/he will have to pay an additional fee. In both the cases, the fee for change in programme / subject will be payable additionally.

As per the above mentioned arrangement, the fee is determined as under:

Change of Learner Support Centre: Rs. 1000/-

Change of Programme: Rs. 500/-

Change of Subject:Rs. 200/-

दो विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश /परीक्षा से सम्बन्धी

Admission/Examination in two different Programmes

यदि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी विद्यार्थी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इस पाठ्यक्रम को स्थगित रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो इस हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनुमति होगी:

- विद्यार्थी द्वारा पहले प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही इस प्रकार के आवेदन स्वीकार्य होंगे।
- प्रथम पाठ्यक्रम को स्थगित किए जाने तथा किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु घोषित तय समयवाधि के अंतर्गत निदेशक प्रवेश को विधिवत् आवेदन किया जाना होगा।
- प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम के स्थगन एवं द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति उपरांत विद्यार्थी द्वारा द्वितीय प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम को नियमानुसार पूर्ण करना होगा एवं द्वितीय पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत ही पूर्व में स्थगित रखे गए पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर में पुनः प्रवेश की अनुमति होगी।
- उक्तानुसार अनुमति प्रदान किए गए दोनों पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु उतनी ही समयवाधि मान्य होगी जितनी कि प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमन्य है।
उदाहरणस्वरूप- यदि विद्यार्थी द्वारा प्रथम बार एम0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है जिसको पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी को कुल 6 वर्ष की समयवाधि नियमानुसार अनुमन्य है एवं विद्यार्थी द्वारा एम0ए0 प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् एम0ए0 पाठ्यक्रम को स्थगन में रखते हुए एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो अनुमति की स्थिति में विद्यार्थी को दोनों पाठ्यक्रम प्रथम प्रवेश के समय आवंटित नामांकन संख्या (Enrollment No.) प्राप्ति की तिथि से 6 वर्षों की समयवाधि में ही पूर्ण करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में शेष रह गए पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- प्रत्येक दशा में विद्यार्थी को विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु एक ही नामांकन संख्या (Enrollment No.) जो विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय आवंटित की गई हो, ही मान्य होगी।
- शिक्षार्थी को किसी एक शैक्षिक सत्र में केवल एक ही डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी। हालाँकि उसे डिग्री के अतिरिक्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी।
- 4.1.12 सामान्य नियम
- शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों द्वारा ही शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किया जायेगा और शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयक इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के द्वारा भी प्रवेश आवेदन पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान कर यादृच्छ(रैण्डम) सत्यापन किया जायेगा।

If a student is enrolled in any programme and having passed the first year / semester examination, wishes to suspend that programme and apply for admission in a new programme, he/she can do so if s/he fulfills the following conditions:

- Only those students who have successfully passed the first year / semester examination of the Programme in which they are enrolled are eligible for this facility.
- The student seeking to suspend the present programme of study, so as to apply for admission in a new Programme, will duly submit his/her application to the Director, Admission within prescribed date for new admission.
- Only after successfully completing the second (new) programme of study, the student will be allowed admission in the second year/semester of the previous suspended programme.
- The student availing this facility will have to complete both the programmes within the time limit permissible at the time of admission in the first programme.

For example, if a student enrolled in MA programme, for completing which the prescribed time limit is 06 years, decides to suspend it after passing the first year examination and seeks admission in a new programme, MBA, for example, s/he will have to complete both MA and MBA within 06 years from the date of enrollment in the MA programme, failing which the admission in the incomplete programme will stand cancelled.
- The enrollment number generated at the time of the student's first admission in any of the UOU programmes will remain valid for all subsequent programmes of study.
- A student can study and appear for examination in only one degree programme in a given academic session. However, s/he can opt for admission in Diploma/ Certificate Programme in addition to the degree programmes.

4.1.12 General Rules

- All educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of student will be certified by the Learner Support Center Coordinator after checking the original documents and accordingly Learner Support Center Coordinator shall be solely liable for it.
- The University will also verify the admission forms randomly by checking the originals if necessary.
- It will be mandatory for the students to get their enclosed documents

- विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रवेश लेने के उपरांत एक माह के भीतर अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जाकर अपने संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करायें।
 - शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों के लिए आवश्यक होगा कि वे अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में पंजीकृत नये विद्यार्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किये जाने का प्रमाण पत्र, प्रवेश विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
 - चूंकि 14 दिसम्बर 2016 से उत्तराखण्ड में व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली समाप्त हो गयी है, अतः इस तिथि के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त किसी भी आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, केवल उत्तराखण्ड के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे जिन्होंने वर्ष 2016 के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष की परीक्षा देकर अपनी उपाधि प्राप्त की है।
 - विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं जो विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु उसकी प्रवेश अर्हता का उल्लेख सम्बन्धित विवरण में दिया गया है।
 - प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
 - प्रवेश आवेदन पत्र सम्बन्धित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
 - अभ्यर्थी का प्रवेश उसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में माना जाएगा, जहाँ उसने पूरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो / पंजीकरण कराया हो।
 - केवल पूर्ण स्पष्ट रूप से भरे हुए ऐसे प्रवेश आवेदन पत्र जिनके साथ विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित एवं सम्बन्धित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र द्वारा सत्यापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं मान्य होंगे।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मात्र उन्हीं स्कूल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं उपाधियाँ मान्य होंगी जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/ मान्यता प्रदान की गई हो।
- Only the degrees / certificates issued by institutions which are recognized by / Uttarakhand Madhyamik Shiksha Parisad/ University Grant Commission, shall be accepted as valid for admission in the University.
- केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा निर्धारित है, अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाएंगे।
 - प्रवेश परीक्षा द्वारा आच्छादित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय घोषित की जाएंगी।
 - प्रवेश आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात एक पूर्व घोषित अवधि तक ही विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 - सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा नहीं है। किन्तु यदि किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए आयु सीमा का निर्धारण है तो यह उस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अनिवार्य दशा होगी।
- certified by the Learner Support Center within a month after admission.
 - It will be mandatory for the Learner Support Centers to send a certificate to the Admission Department of Uttarakhand Open University certifying that all the educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of the new students registered in the Learner Support center have been attested by checking the originals.
 - As the private examination system in Uttarakhand has been abolished from 14th Dec.2016, thus no applicant having degree through private examination system after this date will be admitted; only those applications of the students of Uttarakhand will be accepted who have acquired their degree after passing 2nd or 3rd year through private examination system after 2016.
 - Only those applicants, who fulfill the required educational qualifications as decided by the Academic Council, are eligible for the programmes offered by the University.
 - Only those application forms will be acceptable which are issued and determined by the University.
 - Admission forms may be obtained from the concerned Learner Support Centres or the University Headquarters by paying the requisite fee.
 - An applicant will be enrolled only in that Learner Support Centre where his/her application forms has been submitted.
 - Only those admission forms which are duly verified and forwarded by the concerned Learner Support Centre, along with self attested copies of testimonials shall be treated as valid and acceptable for admission.
- Except for those programmes where entrance examination is conducted, there is a provision for direct admission in all other programmes.
 - Those programmes where admission is through entrance test, the dates of such tests will be declared by the University.
 - The application forms will be acceptable till the last date of admission. However, there is a provision for acceptance of application forms along with late fee charges for a particular time period. After the last date, no form will be accepted in any case.
 - Generally, there is no minimum and maximum age limit for admission in general. However, if there is any such rule mentioned in any programme, then it will be a mandatory pre-condition for seeking admission in that programme.

- वर्तमान सत्र के आवेदन पत्र केवल वर्तमान सत्र के लिए ही मान्य हैं।
- अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अध्ययन केंद्र द्वारा बिना अग्रसारित व विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरेंगे तथा कोई वांछित सूचना न तो छिपाएंगे और न ही गलत ढंग से प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित तथा संबंधित अध्ययन केंद्र द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय ने जिन पाठ्यक्रमों हेतु बाह्य-सहयोगी संस्थाओं से अनुबन्ध किया है, उनके लिए प्रवेश विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित संस्थानों की प्रवेश नीति के आधार पर होगा।
- विद्यार्थी यदि स्वयं के नाम, माता का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि में से यदि किसी एक का संशोधन कराता है तो वह निःशुल्क होगा लेकिन एक से अधिक संशोधन के लिए शुल्क पूर्ववत् लागू रहेगा।
- The application forms pertaining to a particular session are valid for that particular session only.
- Incomplete or wrongly filled application forms without being duly forwarded to Study Centre, and applications received after due date of admission shall be cancelled. Therefore, applicants are advised to fill up all the information carefully. They should neither hide any required information nor project it wrongly.
- It is mandatory to produce all the necessary self attested photocopies of one's testimonials, duly verified by the concerned study centre.
- Admissions for those programmes which are being offered in a collaborative mode, shall be granted permission as per the admission policy of Uttarakhand Open University or the concerned collaborators.
- One correction in any one out of his/her name, mother's name, father's name and date of birth shall be without fee but for more than one correction the fee shall remain as earlier.

4.1.13 अपूर्ण एवं देर से प्राप्त आवेदन पत्र

ऐसे आवेदन पत्र जो अपूर्ण होंगे तथा देर से प्राप्त होंगे, उन्हें निरस्त किए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे आवेदन पत्रों को विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार किया जाना उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से ही सम्भव होगा।

4.1.14 आवेदन पत्र भेजने हेतु निर्देश

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप एवं निर्देश विवरणिका के अन्त में संलग्न है। कृपया परिशिष्ट I एवं II का अवलोकन करें। विद्यार्थी दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश फॉर्म भर कर अपने नजदीकी अध्ययन केंद्र में जमा कर सकता है।

4.1.15 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भेजने हेतु निर्देश

विद्यार्थी अपना आवेदन आनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी, जो आनलाइन पद्धति से प्रवेश लेते हैं, को विवरणिका शुल्क देय नहीं होगा। आनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं। कृपया परिशिष्ट II का अवलोकन करें।

4.1.16 विदेशी अभ्यर्थियों का प्रवेश

- विदेशी आवेदकों के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रमाणकों तथा उनकी अर्हता की प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त जाँच की जाएगी।
- 2. अर्हता के सम्बन्ध में विदेशी छात्रों के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसंघ के द्वारा जारी 'समानता प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा (इस प्रमाण पत्र का वर्तमान में प्रचलित नमूना परिसंघ की वेबसाइट से लिया जा सकता है)।

4.1.13 Incomplete forms and forms received after due date

The University has the right to cancel incomplete application forms and also those that are received after due date. However, such forms may be accepted only after the approval of the competent authorities with late fee charges.

4.1.14 Instructions for sending application forms

The application form for admission and directions for filling it, are attached at the end of this Prospectus. Please refer to Annexure I & II for the same. Learner may fill application form as per the guidelines and submit the same to the nearest study centre.

4.1.15 Instructions for Sending Online Application Forms

Learners may also fill application forms online. The students who opt for online admission, shall not have to pay Rs.100/- towards the prospectus. The directions for filling online application form are given at the end of this prospectus. See Annexure II.

4.1.16 Admission of foreign students

- All information provided by the foreign applicants, together with their certificates and qualifications, will be duly verified in the University.
- With regard to the eligibility criteria, students from foreign countries will be required to procure an Equivalence Certificate, issued by the Association of Indian Universities. (AIU) (A sample of this certificate can be taken from the AIU website).

- उक्त बिन्दु 1 तथा 2 में अर्हता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ऐसे आवेदकों को कुलसचिव के द्वारा आशय - पत्र जारी किया जाएगा।
- इस आशय- पत्र की सहायता से विदेशी अध्ययनार्थी अपने दूतावास से भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत 'विद्यार्थी वीजा' प्राप्त करेंगे।
- वैद्य 'विद्यार्थी वीजा' प्रस्तुत करने पर ही विदेशी अध्ययनार्थियों को विश्वविद्यालय में नियमानुसार प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा।
- नेपाली, भूटानी अथवा तिब्बती मूल के अध्ययनार्थियों को स्थानीय पुलिस के द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश दिया जा सकेगा तथा इन अध्ययनार्थियों को इस विश्वविद्यालय के अध्ययनार्थी रहते हुए सम्पूर्ण अवधि में इस हेतु निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/गृह विभाग तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा समय- समय पर इस संबन्ध में बनाए गए नियम नेपाली/भूटानी/तिब्बती/अन्य विदेशी अध्ययनार्थियों द्वारा स्वतः ही पालन किए जाने योग्य होंगे, और इन नियमों का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
- Once the student fulfills the eligibility requirements, as mentioned in point's number 1 and 2, a Letter of Intent will be issued by the Registrar.
- With the help of the Letter of Intent, the students from foreign countries will be able to obtain 'student-visa' from the embassies of their respective countries.
- A foreign student will be granted admission in the University only when he/she produces a legal 'student-visa'.
- Students from Nepal, Bhutan and Tibet will be granted admission as per the rules of the local Police Department. Furthermore, these students will have to abide by the University rules as long as they remain the bona-fide students of the University.
- It is expected of the students from Nepal, Bhutan, Tibet and other foreign countries that they follow the rules framed by the Government of India, Ministry of Home Affairs, State Government and local Police Department. However, if these students are found flaunting the rules, the University will have the rights to cancel their admission.

4.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति

सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिक्षान्त समारोह में पदक दिये जाने हेतु नियम :

- केवल स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को ही पदक प्रदान किये जायेंगे।
- केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में पदक दिया जायेगा, जिन पाठ्यक्रमों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 या 100 से अधिक हो।
- स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले वही विद्यार्थी नामित किये जायेंगे, जिन्होंने पाठ्यक्रम को न्यूनतम निर्धारित समय सीमा में बिना किसी व्यवधान के उत्तीर्ण किया हो तथा Improvement अथवा Back Paper की सुविधा का लाभ न लिया हो।
- यदि किसी पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो उन्हें संयुक्त रूप से पदक प्रदान किये जायेंगे।
- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन सत्रों को मिलाकर श्रेष्ठता सूची का निर्माण किया जायेगा, तदनुसार ही पदक प्रदान किये जायेंगे।

विद्यार्थी परीक्षा हेतु हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक का चुनाव कर सकता है।

4.2.1 परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता

परीक्षा का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली प्रवेश तथा उन सभी परीक्षाओं से है जो विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अथवा छात्रों द्वारा पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु लिखित, मौखिक, ऑनलाइन आदि प्रकार से निर्धारित है।

परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता एवं अनिवार्यता: प्रत्येक विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय में विधिवत् प्रवेश लिया हो, विश्वविद्यालय में पंजीकृत हो एवं नामांकन कराया हो तथा जिसने सत्रिय कार्य पूर्ण कर जमा कर दिया हो और विश्वविद्यालय का

4.2 Examination & Evaluation System

Rules for awarding Medals in the Convocation to the Students Scoring highest marks.

Medals will be awarded only to undergraduate and postgraduate degree holders.

2. Medals shall be given in the programmes where the total number of learners enrolled in a given academic session is 100 or more.

3. Only those learners scoring the highest marks in a particular Programme of Study shall be nominated for the Gold Medal who have completed the programme in the minimum stipulated time frame without availing the facility of Improvement or Back Paper.

4. If the number of learners scoring the highest marks in a Programme is more than one then the medal shall be jointly awarded to them.

5. The merit list shall be prepared after combining summer and winter academic session. Accordingly on the basis of that list medals shall be awarded.

Student can opt hindi or English as a medium of examination

4.2.1 Eligibility for Participation in Examination

Examination implies to all those entrance and other examinations which are conducted by the University either annually or in semester mode. These may be written and oral for various programmes opted by the learners.

Eligibility for attending examination and obligations:- Each learner who is registered and has taken admission as per rule, i.e., who has been enrolled/ registered and has deposited the programme fee, examination fee, and also submitted the assignments will be eligible

शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क जमा किया हो, वह परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा।

परीक्षार्थी/आवेदनकर्ता को प्रवेश आवेदन के साथ ही परीक्षा केन्द्र का चयन करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा **मुख्य परीक्षा** से संबंधित परीक्षार्थियों के लिए (बैक व सुधार परीक्षा को छोड़कर) अलग से परीक्षा आवेदन फार्म भरने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उन समस्त विषयों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जो उस पाठ्यक्रम के लिए वर्ष विशेष में उसके द्वारा चयनित किए गए हों। यदि कोई छात्र किसी परीक्षा अथवा किसी विषय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो उसे उस विषय की परीक्षा अथवा सम्पूर्ण परीक्षा (यथा स्थिति) में अनुपस्थित माना जाएगा।

यदि छात्र पूरी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे संबंधित कक्षा के लिए पुनः पंजीकरण नहीं करवाना होगा और न ही प्रवेश संबंधी शुल्क का भुगतान करना होगा। छात्र को केवल उस वर्ष के लिए रू० 200/- प्रति प्रश्नपत्र बैक परीक्षा शुल्क के साथ बैक परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा हेतु आवेदन करना होगा। साथ ही वह उस कक्षा की अगले वर्ष की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी के पास विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र जिसमें छात्र की फोटो लगी हो, अवश्य होनी चाहिए। परीक्षार्थी के पास अपना पहचान पत्र (वोटर आई.डी., लाइसेंस, पैन कार्ड आदि) होना चाहिए।

4.2.2 सत्रीय कार्य

स्नातक, परास्नातक डिप्लोमा एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी सत्रीय कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित पर विशेष रूप से ध्यान दें –

1. सत्रीय कार्य केवल हस्तलिखित होना चाहिए।
 2. पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखें।
 3. अपने सत्रीय कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर ही अध्ययन केन्द्र में जमा (प्रस्तुत) करें। सत्रीय कार्य के अंक अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- अभ्यर्थियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि सत्रीय कार्य की एक प्रति और
- सत्रीय कार्य अध्ययन केन्द्र में जमा किये जाने की प्राप्ति अपने पास सुरक्षित रखें।
4. अंतिम तिथि के बाद छात्र द्वारा सत्रीय कार्य जमा करने हेतु छात्र को रूपये 100 प्रति सत्रीय कार्य की दर से जमा करना होगा। यदि सत्रीय कार्य के अंक अध्ययन केंद्रों के द्वारा समय से प्रविष्ट नहीं किए जाते हैं तो इस स्थिति में रूपये 100/- प्रति छात्र प्रति सत्रीय कार्य की दर से सम्बन्धित अध्ययन केंद्र के अंश से कटौती करने के उपरान्त सत्रीय कार्य के अंक प्रविष्ट किए जाएंगे। अतः अपने अध्ययन केंद्रों से सम्पर्क कर सुनिश्चित कर लें कि सत्रीय कार्य के अंक विश्वविद्यालय को समय से प्रेषित कर दिए गए हैं।
 5. MOOC प्रमाणपत्र युक्त शिक्षार्थियों को सत्रीय कार्य में उचित मान दिया जायेगा। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

for appearing in the examination.

Students/examinees shall have to choose their exam center (mandatorily) at the time of admission. Examination form(s) shall not be filled separately, excluding back/improvement exams.

Every learner will have to take examination in all those subjects which have been chosen by him/ her. If a learner does not appear in any paper, then s/he shall be deemed as absent in that paper or the entire examination (as the case may be). No marks shall be allotted to the absentee learner. If a learner remains absent in all the subjects then s/he shall neither have to re-register in all the subjects for that year nor shall have to pay the entire admission related fee. However, the student will have to pay Rs. 200/- per question paper with back examination fee along with the back examination form. At the same time s/he may also apply for the examination in next academic calendar. It is mandatory for the examinee to carry the admit card to the examination hall. The examinee also needs to carry his/her identity card (Voter ID, License, PAN card etc) with him/her.

4.2.2 Assignments

The learners of Graduate, P.G.Diploma and Post Graduate programmes should pay special attention to the following:-

1. Assignments should be hand written only.
 2. Answers to the questions should be within the specified word limit.
 3. Learners need to submit their assignments to their respective Study Centres within the specified time.
- Students are requested to keep a copy of assignments with them and also secure the receiving of submitting assignments at their respective study centre.
4. Learner shall have to deposit Rs. 100/- per assignment after due date of submission of the assignments. If the marks of the assignments are not entered by the Study Centre on time, then Rs.100/- per assignment per student, will be deducted from the share of the Study Centre. The marks can be entered only after the above mentioned deductions are made. Therefore, the learners should ensure that the marks of their assignments reach the University within the stipulated time.
 5. Candidates with MOOCs Certificate will be given weightage in internal assessment. A separate circular will be issued in this regard.
 6. The assignments given less than 40 percent and the assignments given 80 percent or more marks may be reviewed and given marks at the University. All the Study Centres shall

6. सत्रीय कार्यों में 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनरीक्षण कर अंक प्रदान किये जायेंगे। सभी अध्ययन केन्द्र सभी सत्रीय कार्यों को सुरक्षित रखेंगे और ऐसे सत्रीय कार्यों को विश्वविद्यालय प्रेषित करेंगे जिनमें 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत या अधिक अंक दिये गये हैं। छात्रों से भी यह अपेक्षा है कि सत्रीय कार्य की एक प्रति वे अपने पास सुरक्षित रखें।

4.2.3 विभिन्न परीक्षाओं हेतु अंकों का निर्धारण

(क) ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक कार्य न हों-

1. सत्रीय कार्य- 20 % अंक
2. लिखित परीक्षा- 80 % अंक

(ख) ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक कार्य होते हैं-

1. सत्रीय कार्य 20 % अंक
2. प्रयोगात्मक कार्य 20 % अंक
3. लिखित परीक्षा 60 % अंक

(ग) पूर्णरूपेण मौखिक परीक्षा अथवा प्रोजेक्ट कार्य 100 अंक

अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था।

(घ) जिन पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा उनमें संतोषजनक अथवा असंतोषजनक के रूप में मूल्यांकन कार्य किया जाएगा।

नोट: प्रमाणपत्र परीक्षा, डिप्लोमा परीक्षा अथवा उपाधि परीक्षा में यदि एक ही प्रश्नपत्र प्रयोग हो रहा हो और इन सभी में पूर्णांक भिन्न-भिन्न हो तो प्रथमतः सभी प्रश्नपत्र 80 अथवा 40 पूर्णांकों के अनुरूप ही तैयार किए जायेंगे किन्तु बाद में सम्बन्धित छात्र के पंजीकरण के वर्ष के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही उक्त 80 अथवा 40 पूर्णांकों को आनुपातिक रूप से परिवर्तित कर परिवर्तित अंकों को ही सम्बन्धित छात्र के परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित किया जायेगा।

उदाहरण के लिए:- यद्यपि कि प्रश्नपत्र 80 अंक का होगा किन्तु यदि छात्र के द्वारा दी गयी प्रमाणपत्र परीक्षा में वही प्रश्नपत्र 100 अंकों का है तो छात्र के प्राप्तकों को आनुपातिक रूप से 80 के स्थान पर 100 के स्केल में परिवर्तितकर दिया जायेगा।

4.2.4 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मानदण्ड

प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत छात्र द्वारा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक (सत्रीय कार्य, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य एवं लिखित परीक्षा में पृथक-पृथक) प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई छात्र किसी विषय में उपर्युक्त विधि से निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करता तो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अनुत्तीर्ण छात्र को उस विषय में उत्तीर्ण होने के लिए पुनः परीक्षा देनी होगी। परन्तु किसी विषय में अनुत्तीर्ण छात्र उस पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में अस्थाई प्रवेश ले सकता है तथा उस विषय की परीक्षा भी अगले वर्ष की परीक्षा के साथ दे सकता है।

4.2.5 परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन

retain all assignments and send such assignments to the University, which have been given less than 40 percent and 80 percent or more marks. Students are also required to keep a copy of their assignments with them.

4.2.3 Allocation of Marks in Various Exams

A) Subjects without laboratory work:

1. Assignment- 20 % marks
2. Written Examination 80% marks

B) Subjects with laboratory work:

1. Assignments 20 % marks
2. Laboratory Examination 20 % marks
2. Written Examination 60% marks

C) Complete Oral Exam or Project work: 100 Marks or the marks allotted by the concerned School.

D) The evaluation of programmes involving practical training shall be marked by the concerned Departments.

Note: If a particular question paper is being used simultaneously in certificate, diploma and degree examinations and there is a difference in maximum marks in these programmes for the same question paper, initially, all such question paper(s) shall be prepared according to the 80 or 40 maximum marks format. Thereafter, depending upon the session of admission, the 80 or 40 maximum marks format will be converted proportionately according to the programme of student's registration year and shall be declared as the student's result in the mark sheet.

For example- If a question paper is of 80 (max .marks) but in the certificate program/course the student has opted for, the same paper is of 100 (max. marks), conversion shall be applied to declare the result on a scale of 100.

4.2.4 Criteria for Passing Examination

A minimum of 35% marks in each paper will be mandatory for passing any examination. The learners need to pass separately in assignments/ laboratory examination/ Project Work as well as the written examination. If an examinee fails to secure 35% marks in any paper, s/he shall be declared fail in that paper and s/he will have to reappear in that paper the next year. However, a learner who has not been able to pass all the papers or some of the papers, may take admission for the next academic year and take both the examinations simultaneously in the next academic calendar.

4.2.5 Change in Examination Centre

- परीक्षा केन्द्र परिवर्तन:
- परीक्षार्थी यदि अपना परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करना चाहता है तो वह परीक्षा प्रारम्भ
- होने की तिथि से 02 माह पूर्व परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट uou.ac.in में उपलब्ध परीक्षा केन्द्र परिवर्तन ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना परीक्षा केन्द्र परिवर्तन कर सकता है। उक्त समयपरांत बिन्दु न0 2 लागू किया जायेगा।
- आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/- का भुगतान परीक्षार्थी द्वारा किया जायेगा। यह नियम बैंक परीक्षार्थियों के लिए भी मान्य होगा।

4.2.6 शुल्क भुगतान

किसी भी प्रकार का प्रवेश अथवा परीक्षा शुल्क नकद रूप में मान्य नहीं होगा। सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

4.2.6.1 परीक्षा शुल्क समायोजन

परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा की मुख्य परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी को यह विशेष सुविधा दी जा रही है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन के साथ ही परीक्षा शुल्क जमा किया गया है उससे संबंधित परीक्षार्थी यदि उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो उनका परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा (केवल 6 माह) के लिए सुरक्षित रखकर अगली परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जायेगा। निर्धारित समयवधि के उपरांत यह सुविधा मान्य नहीं होगी। परीक्षा शुल्क समायोजन हेतु परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय वेबसाइट uou.ac.in में उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से परीक्षा की तिथि से 02 माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

4.2.7 सुधार परीक्षा

- 1. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में प्राप्त अंकों में सुधार करने की इच्छा रखता है तो वह रू0 200/- प्रति प्रश्नपत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर सुधार परीक्षा (Improvement Examination) दे सकता है। सुधार परीक्षा आवेदन हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षार्थी आवेदन कर सकता है।
- केवल वही परीक्षार्थी सुधार परीक्षा दे सकते हैं जिन्होंने उसी सेमेस्टर/वर्ष की सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं मुख्य परीक्षा एवं PWG (ग्रेस) के रूप में उत्तीर्ण की हैं।
- बैंक परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण परीक्षार्थी सुधार परीक्षा देने हेतु मान्य नहीं होंगे।
- सुधार परीक्षा केवल लिखित परीक्षा हेतु मान्य है।
- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के केवल छः माह के भीतर (आगामी परीक्षा) में ही परीक्षार्थी सुधार परीक्षा दे सकता है।
- सुधार परीक्षा हेतु परीक्षार्थी निम्नानुसार आवेदन कर सकता है-
- स्नातक स्तर - केवल कोई भी दो प्रश्नपत्रों में।
- स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व पी0जी0डिप्लोमा - केवल

1) Students/examinees shall be provided a time frame/window to change/correct their respective exam center, two months prior to the commencement of exams, via change **examination center link** provided at University Website www.uou.ac.in After this period point no. 2 shall be applied.

2) Any change in exam center other than the above window will be charged Rs.500/ only. This shall be applied to Back examinee too.

4.2.6 Payment of Fees

Admission or examination fee is not acceptable in cash. It is mandatory to pay all types of fee either through Bank Challan or as per other modes of payment specified by the University.

4.2.6.1 Adjustment of examination fee:

In favour of students those have already submitted exam fee along with admission for annual/ semester exams (main examination only) willing to skip/opt-out of the current year/session exams, shall be provided a link at www.uou.ac.in to retain their exam fees till the immediate next term exam(within six months). The examinee will inform university about skip/opt-out of the current year/session exams, via provided link two months in advance.

4.2.7 Improvement Examination

1) Pass students (UG&PG) can opt for improvement examination, @Rs.200/ per paper in the immediate next term exam (within six month). The applicant can apply for Improvement Exam as per guide lines set by UOU. Only those students who have been declared pass in all papers including pass with grace (PWG) in annual/ semester examination of the same session are eligible for Improvement Examination. Candidates those have passed exam with back paper are not eligible for Improvement Examination. The Improvement Examination will be conducted in theory papers only. The candidate will have to appear in Improvement Examination conducted immediately (within six month) after annual/ semester exams.

- The candidate can apply for Improvement Examination as stated below.
 - Under graduate : Any two papers
 - Post Graduate: Any one paper
 - Certificate/ Diploma/ PD Diploma: Any one paper
- NOTE:** If the marks obtained in improvement exam are less than the previous attempt, best of the two (attempts) will be considered as final result.

कोई एक प्रश्नपत्र में।

नोट- यदि सुधार परीक्षा के फलस्वरूप संबंधित परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो संशोधित अंक परीक्षाफल में अंकित किए जायेंगे परन्तु यदि सुधार परीक्षा के फलस्वरूप प्राप्तांक कम हो जाते हैं तो पूर्व प्राप्तांक यथावत् बने रहेंगे।

4.2.8 बैक पेपर की सुविधा

विद्यार्थी यदि अपने चयनित पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण (फेल) होता है तो रु. 200/ प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर पुनः परीक्षा दे सकता है। विद्यार्थी को यह सुविधा उन सभी विषयों में देय होगी जिनमें वह अनुत्तीर्ण है। यह सुविधा पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा तक देय होगी। बैक पेपर व सुधार परीक्षाएं मुख्य परीक्षा के साथ ही आयोजित की जाएगी।

4.2.9 स्क्रूटनी (परिगणन)

स्क्रूटनी का तात्पर्य है –उत्तर-पुस्तिका में छूटे हुए प्राप्तांकों का जोड़, अग्रसारण त्रुटि और उत्तर-पुस्तिका में किसी प्रश्न की जाँच छूट जाने पर उसका मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी चाहने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों में रूपये 100 प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी करा सकते हैं। यदि स्क्रूटनी के फलस्वरूप सम्बन्धित परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो संशोधित अंक परीक्षाफल में अंकित किए जाएंगे परन्तु यदि स्क्रूटनी के फलस्वरूप प्राप्तांक कम हो जाते हैं तो पूर्व प्राप्तांक यथावत् बने रहेंगे।

उत्तरपुस्तिका स्क्रूटनी कराने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अन्तिम परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 01 माह के भीतर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों में रूपये 100 प्रति प्रश्नपत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी करा सकते हैं।

4.2.10 परीक्षा समय सारणी

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा समय सारणी निर्माण में यथासंभव संभव ध्यान रखा जाता है कि छात्र द्वारा लिए गये प्रश्नपत्र एक ही समय पर न हों, यदि ऐसा होता है तो तो छात्र अगली छमाही में होने वाली परीक्षा में उन प्रश्नपत्रों की परीक्षा दे सकता है।

4.2.11 उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति दिया जाना

यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति चाहता हो तो वह रु0 200/- स्वयं से संबंधित प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क अदा कर उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त कर सकता है। उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक दी जा सकती है।

4.2.12 परीक्षार्थियों की अंकतालिका

विश्वविद्यालय द्वारा केवल अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की अंकतालिका को प्रतिलेख (Transcript) हार्डकापी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा का परीक्षाफल परीक्षार्थी विश्वविद्यालय वेबसाइट से ONLINE MARKSHEET के रूप में प्राप्त कर सकता है।

4.2.13 श्रेणी

परीक्षा परिणाम की निम्न तीन उत्तीर्ण श्रेणियाँ होंगी:

4.2.8 Facility of Back Paper

If a learner fails in a programme of study selected by him / her, he/she may take the examination again by paying a fee of Rs. 200 per paper. A learner may avail this facility in all those subjects/ papers in which s/he has not been able to clear the exam. This facility is available only up to the maximum time duration earmarked for the programme. The back paper and improvement examination will be conducted along with the main examination.

4.2.9 Scrutiny

Scrutiny implies to the addition of the left out marks in the answer script or evaluation of any question which is left unchecked. Learners may apply for scrutiny by paying Rs.100 per paper. An examinee can get a maximum of two papers scrutinized. If after scrutiny, the score of the candidate increases by 10%, the same will be reflected in the improvement marksheet. However, if marks are reduced then the previous marks will be retained.

Students willing to opt for scrutiny can apply for scrutiny of the or answer book within 1 month after the declaration of final result in any 2 papers by depositing a fee of Rs. 100 per paper

4.2.10 Examination Date Sheet

The University takes all possible care in making examination date sheet that the question papers taken by student do not clash with one another. If so happens the student may take examination in such papers in the forthcoming examination in next six month.

4.2.11 Photocopy of answer sheet

If a learner wishes to get photocopy of the answer sheet related to him/her, s/he may get it by paying a fee of Rs. 200 per paper. The photocopy of the answer sheet will be given within the period of six months of the declaration of result.

4.2.12 Distribution of marksheets

University will provide consolidated mark sheet(s) only to the final semester/year pass students, in the form of a transcript.

Other than final year/sem. examinees shall be able to download their mark sheet(s) online in original from university's website www.uou.ac.in

4.2.13 Division

The examination result will comprise the following three pass divisions:

A) स्नातक स्तर:

प्रथम श्रेणी	60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
द्वितीय श्रेणी	60 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत तक
तृतीय श्रेणी	45 प्रतिशत से कम तथा 35 प्रतिशत तक

B) परास्नातक स्तर :

प्रथम श्रेणी	60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
द्वितीय श्रेणी	60 प्रतिशत से कम तथा 48 प्रतिशत तक
तृतीय श्रेणी	48 प्रतिशत से कम तथा 35 प्रतिशत तक

4.2.14 उपाधि प्रदान किया जाना

विद्यार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उसे उपाधि प्रदान की जाती है। उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप परिशिष्ट IV में संलग्न है। आवेदन www.uou.ac.in पर online भी किया जा सकता है।

4.2.15 सावधानियाँ

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय अथवा उसके द्वारा आवंटित क्षेत्रीय केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों से सीधा सम्पर्क स्थापित करें। किसी मध्यस्थ अथवा अवांछित माध्यम के द्वारा प्रवेश न लें। यदि उचित माध्यम से अभ्यर्थी अपना प्रवेश नहीं लेते हैं तो वे इस सन्दर्भ में किसी भी कठिनाई के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। अध्ययन केन्द्रों के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शिक्षण / परीक्षा शुल्क लिए जाने अथवा अमान्य तथा अवैधानिक रूप से प्रवेश देने वाले शैक्षिक संस्थानों के सम्बन्ध में कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी 263139, नैनीताल, को तत्काल सूचित करें।

4.2.16 वादों का निस्तारण

प्रवेश तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्त वादों का न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ही होगा।

4.2.17 विविध जानकारी हेतु सम्पर्क नंबर / वेबसाइट

विश्वविद्यालय के प्रवेश तथा समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://uou.ac.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र तथा विश्वविद्यालय के मुख्यालय से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

विविध जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के टॉल फ्री नम्बर 1800 1804 025 पर प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। जानकारी प्राप्त करते समय यह अवश्य स्पष्ट करें कि आपको किस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करनी है। इससे सम्बन्धित व्यक्ति को सन्दर्भित करने में सहायता मिलेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार एक साथ दो डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लिया जा सकता। शिक्षार्थी उपरोक्त कार्यक्रमों में से किसी एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा (पी. जी. डिप्लोमा का छोड़कर)/ एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में एक साथ एक सत्र में प्रवेश ले सकता है। प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की विवरणिका ऑनलाइन www.uou.ac.in पर उपलब्ध है। शिक्षार्थी प्रवेश हेतु ऑनलाइन पद्धति को अपना सकता है जिस हेतु उसे विवरणिका शुल्क रु. 100/- देय नहीं होगा।

A) Graduate Level:

First Division	60% or more
Second Division	Less than 60% and upto 45%
Third Division	Less than 45% and upto 35%

B) Post Graduation Level:

First Division	60% or more
Second Division	Less than 60% and upto 48%
Third Division	Less than 48% and upto 35%

4.2.14 Award of Degree

The University awards degree to the learners after successfully completion of a programme. The proforma of the degree form is attached as annexure IV. The learner may also apply online at www.uou.ac.in

4.2.15 Caution

It is advised to all those applicants who wish to seek admission in various programmes of the University, that they establish direct contact with the University or Regional Centres or Study Centres. Learners are cautioned against taking admission through any agent or through any other undesirable means. If learners do not take admission through proper channel, then in case any problem, then they will be held responsible for any consequences. If admissions are being offered illegally by any unrecognised institutions by charging extra tuition / examination fee, it is imperative on the part of the applicant to inform the Registrar, Uttarakhand Open University, Haldwani, 263139 Nainital, immediately.

4.2.16 Resolution of Disputes

Any disputes related to admissions or to the University will fall under the jurisdiction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital.

4.2.17 Contact number/ website various Information

Information related to admission and academic programmes can be obtained from the University website <http://uou.ac.in>. Additional information may be availed from the Study Centres, Regional Centres and the University Headquarters.

Learner may also obtain information from the toll free number of the University (1800 1804 025) during each office day between 10 a.m. to 5 p.m. While making an enquiry, a learner needs to specify what information s/he needs as this will help us in referring her/ him to the concerned person or department.